राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(16)गृह–1/2015

जयपुर, दिनांक : 16.11.2023

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2015–16 की दिनांक 10.11.2015 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में की गई अभिशंषा अनुसार श्री बंशीलाल/हजारीलाल, पुलिस निरीक्षक (एससी) के विरूद्व एसीबी मुकदमा सं. 04/2013 दिनांक 03.01.2013 को ए0सी0बी0 में दर्ज होकर चालान दिनांक 09.07.2014 को मा0 न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक मामलात, अजमेर में पेश किये जाने व प्रकरण मा0 न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण श्री बंशीलाल की विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा को सील्ड (बन्द लिफाफा) कवर किया गया।

पदोन्नति के संबंध में श्री बंशीलाल द्वारा मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15429/19 दायर की गई, जिसमें मा0 न्यायालय ने दिनांक 18.02.2021 को निर्णय पारित कर याचिकाकर्ता का पदोन्नति सील्ड कवर खोलने एवं पदोन्नति मामले के निर्णय के अधीन रहने के निर्देश प्रदान किये गये।

उक्त आदेश के विरूद्व प्रीलिटिगेशन कमेटी द्वारा दिनांक 20.07.2021 को खण्डपीठ में अपील दायर किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में मा0 न्यायालय में डी0बी0 अपील संख्या 1007/2021 दायर की गई। उक्त अपील में मा0 न्यायालय ने दिनांक 06.05. 2022 निम्नानुसार निर्णय पारित किया गयाः–

In view of the order dated 22-02-2022 passed in D.B. SAW No. 963/2021 dealing with identical case situation, we are not inclined to stay the effect and operation of the impugned order.

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15429/19 में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 की पालना नहीं होने पर श्री बंशीलाल द्वारा मा0 न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या 472/2023 दायर की गई, जिसके क्रम में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेश महर्षि के पत्रांक RM/AAG/2324/41 दिनांक 8.11.2023 द्वारा मा0 न्यायालय में दिनांक 16.11.2023 को प्रमुख शासन सचिव, गृह, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग एवं महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को व्यक्तिशः तलब किये जाने के संबंध में सूचित किया गया।

दिनांक 16.11.2023 को प्रमुख शासन सचिव, गृह के माननीय न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित होने तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेश महर्षि द्वारा प्रकरण के संबंध में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराये जाने के उपरांत भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.02.2021 की पालना आज दिनांक 16.11.2023 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

अतः उक्त वस्तुस्थिति एवं निर्देशों की पालना में सील्ड कवर अभिशंषा को खोला गया। खोले गये सील्ड कवर में उपलब्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार श्री बंशीलाल को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2015–16 की रिक्ति दिनांक 01.01.2016 के विरूद्व एसबी सिविल रिट याचिका सं. 15429/2019, डी0बी0 स्पेशल अपील सं. 1007/2023 एवं इस स्पेशल अपील में विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.05.2022 के संबंध में दायर स्पष्टीकरण (क्लेरीफिकेशन एप्लीकेशन) प्रार्थना–पत्र के अंतिम निस्तारण/निर्णय के अध्यधीन एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। यह आदेश इस प्रकरण की विशेष परिस्थितियों के कारण जारी किया जा रहा है एवं इसे किसी अन्य प्रकरण में पूर्ववर्तिता (Precedence) के रूप में नहीं माना जायेगा।

राजस्थान विधान सभा निर्वाचन–2023 के संबंध में जारी आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर श्री बंशीलाल अग्रिम आदेश तक वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd –

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

16/11/23

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस